भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 3030
उत्तर देने की तारीख : 18.12.2025

संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रशुल्क का सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर प्रभाव

3030. श्री सुरेश कुमार शेटकर :
श्री बी. मणिक्कम टैगौर :
श्री टी. एम. सेल्वागणपति :
श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंत :

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रशुल्क से सीधे प्रभावित सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) की संख्या कितनी है और क्या वस्त्र, कालीन, हीरा और रसायन जैसे निर्यात-प्रधान क्षेत्रों को बिना किसी निवारक कार्यनीति के असुरक्षित छोड़ दिया गया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ख) विशेषकर तिरुपुर, सूरत और वापी जैसे संकुल क्षेत्रों में बिगड़ते नकदी संकट-विलंबित भुगतान, रद्द किए गए ऑर्डर और घटते लाभ की स्थिति से निपटने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सूक्ष्म इकाई विकास और पुनर्वित्तपोषण एजेंसी (मुद्रा) और सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) जैसी योजनाओं का प्रशुल्क-विशिष्ट राहत प्रदान करने के लिए विस्तार किया गया है और यदि नहीं, तो एमएसएमई को अभी भी वित्तीय सहायता न मिलने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार प्रशुल्क से प्रभावित क्षेत्रों के लिए ऋण गारंटी योजनाओं के अलावा अन्य उपायों को भी शीघ्र लागू करने की दिशा में कार्य कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इन क्षेत्रों में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों और बेरोजगारी में वृद्धि गंभीर चिंता का विषय है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) लीड टाइम्स और मूल्य दबावों के बढ़ने की स्थिति में बाधित आपूर्ति श्रृंखलाओं को स्थिर करने और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता की रक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या ठोस उपाए किए जा रहे हैं; और

(छ) कई सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्रों में व्यापक छंटनी और उत्पादन कटौती के बावजूद, ब्याज अनुदान की मांगों, विस्तारित ऋण समय-सीमा और आपातकालीन ऋण सुविधा को मंजूरी देने में अभी भी देरी होने के क्या कारण हैं?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करांदलाजे)

(क) : अप्रैल से अक्तूबर, 2025 के दौरान भारत के मर्चेंडाइज निर्यात ने हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा प्रशुल्क में वृद्धि सहित चुनौतीपूर्ण वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद मजबूत प्रदर्शन दर्शाया है। कुल मिलाकर इस वित्त वर्ष में अब तक मर्चेंडाइज निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में सकारात्मक बना हुआ है जो वैश्विक आर्थिक उतार-चढ़ाव, जिओ पॉलिटिकल बाधाओं और कुछ बाजारों में कम होती मांग के बावजूद आंतरिक मजबूती को दर्शाता है। भारत का निर्यात क्षेत्र चुनौतीपूर्ण बाहरी परिस्थितियों के बीच मजबूत और विविधतापूर्ण स्थिति को बनाए हुए है।

(ख) से (छ) : सरकार एक व्यापक बहुआयामी रणनीति के जरिए भारतीय निर्यात पर अमेरिकी प्रशुल्क संबंधी कदमों के प्रभाव को कम करने के लिए लगातार काम कर रही है। इस रणनीति में भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के लिए अमेरिकी सरकार के साथ गहन स्तर की बातचीत, आरबीआई के व्यापार संबंधी राहत से जुड़े उपायों के जरिए तत्काल राहत, निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम, अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों के जरिए घरेलू मांग में वृद्धि, नए निर्यात संवर्धन मिशन जैसे निर्यात संवर्धन उपाय जो हमारे निर्यातकों को सहयोग और सहायता प्रदान करते हैं, नए देशों के साथ एफटीए पर बातचीत और मौजूदा एफटीए का बेहतर उपयोग शामिल है। यह आशा की जाती है कि इन उपायों से भारत के व्यापार संबंधों में विविधीकरण और लचीलेपन में बढ़ोतरी होगी, सरकार निर्यातकों, निर्यात संवर्धन परिषदों (ईपीसी), एमएसएमई, उद्योग संघों और राज्य सरकारों सहित सभी स्टेकहोल्डरों के साथ अमेरिकी प्रशुल्क संबंधी कदमों के बदलते प्रभाव का आकलन करने के कार्य में जुटी हुई है।

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने एमएसएमई (निर्यातकों सहित) को दिए जाने वाले ऋण प्रवाह में सुधार करने के लिए आरबीआई द्वारा जारी विनियमों सहित कई उपाय किए हैं जिनमें (i) 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए कोलेटरल मुक्त ऋण प्रदान करना, (ii) इस प्रकार का ऋण प्रदान करने के लिए पूंजीगत आवश्यकता में शिथिलता की अनुमति प्रदान करना, (iii) बाहरी बैंचमार्कों से जोड़कर ब्याज दरों में पारदर्शिता सुनिश्चित करना आदि शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, आरबीआई ने दिनांक 14.11.2025 को भारतीय रिजर्व बैंक (व्यापार राहत उपाय), 2025 जारी किए थे जिसमें निर्यातकों को ब्याज और मूलधन की किश्तों के पुनर्भुगतान में आस्थगन, निर्यात आय की प्राप्ति संबंधी अवधि को बढ़ाना, पैकिंग ऋण परिसमापन में लचीलापन आदि सहित विभिन्न प्रकार की राहत प्रदान की गई थी।

इसके अलावा, सरकार ने एमएसएमई की मजबूती और विकास को नई तेजी प्रदान करने के लिए निम्नलिखित पहलें की हैं:-

(i) एमएसई को दिए जाने वाले ऋण पर किसी प्रकार की कोलेटरल सिक्युरिटी अथवा तृतीय पक्षकार गारंटी के बिना 10 करोड़ रुपए तक की क्रेडिट गारंटी प्रदान करने के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) के जरिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएस)।

(ii) आत्मनिर्भर भारत (एसआरआई) कोष से ऐसे एमएसएमई में इक्विटी निधियन के रूप में 50,000 करोड़ रुपए समाविष्ट किए जाएंगे जिनमें आगे बढ़ने और बड़ी इकाइयों में परिणत होने की क्षमता और व्यवहार्यता है। इस स्कीम के अंतर्गत कुल 50,000 करोड़ रुपए के कोष में से 10,000 करोड़ रुपए भारत सरकार तथा 40,000 प्राइवेट इक्विटी/वेंचर कैपिटल फंड के जरिए प्रदान किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य एमएसएमई क्षेत्र की योग्य और पात्र इकाइयों को विकासशील पूंजी प्रदान करना है।

(iii) एमएसएमई के लिए म्युचुअल क्रेडिट गारंटी स्कीम (एमसीजीएस-एमएसएमई), जो सरकार द्वारा सहायता प्राप्त एक पहल है जिसे सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को अपना व्यवसाय बढ़ाने के लिए ऋण प्राप्त करने में सहायता प्रदान करने हेतु तैयार किया गया है। यह स्कीम एक क्रेडिट गारंटी प्रदान करती है जिससे एमएसएमई को विशेषकर अनिवार्य उपस्करों और मशीनरी की खरीद के लिए ऋण प्राप्त करने में सुविधा होती है। यह स्कीम ऋण प्रदाताओं (अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों, अखिल भारतीय वित्तीय संस्थानों, एनबीएफसी) को एमएसएमई को उपस्करों/मशीनरी की खरीद हेतु उनकी परियोजनाओं के लिए 100 करोड़ रुपए तक के सावधि ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करती है।

(iv) संघीय बजट संबंधी घोषणा 2024-25 के पश्चात सिडबी ने वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान संपूर्ण भारत में छब्बीस (26) शाखाएं खोली हैं ताकि एमएसएमई क्लस्टरों को सेवा प्रदान करने और उन्हें सीधे क्रेडिट प्रदान करने हेतु उनकी पहुंच को बढ़ाया जा सके। वित्त वर्ष 2025-26 में 37 शाखाएं खोलने का प्रस्ताव है जिनमें से अभी तक 34 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। इसके अतिरिक्त, सिडबी दिनांक 31.03.2027 तक सभी प्रमुख एमएसएमई क्लस्टरों को सेवा प्रदान करने हेतु अपनी पहुंच का विस्तार करने के लिए नई शाखाएं खोलना जारी रखेगा।

(v) भारत सरकार ने पात्र ऋणप्राप्तकर्ताओं विशेषकर एमएसएमई को मौजूदा कार्यशील पूंजीगत सीमाओं की 20 प्रतिशत तक की अतिरिक्त क्रेडिट सहायता प्रदान करने के लिए दिनांक 12.11.2025 को निर्यातकों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम (सीजीएसई) को अनुमोदन प्रदान किया है। सीजीएसई के अंतर्गत कोलेटरल मुक्त ऋण तक पहुंच प्रदान करके इस स्कीम से भारतीय निर्यातकों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने और विविधतापूर्ण नए तथा उभरते बाजारों को सहायता प्रदान किए जाने की संभावना है। इस सुविधा को अखिल भारतीय आधार पर दिनांक 25.11.2025 से कार्यशील कर दिया गया है।

(vi) भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा दी गई सूचना के अनुसार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के खातों में उभरे दबाव को दूर करने के लिए एक आसान और त्वरित कार्यतंत्र प्रदान करने के लिए आरबीआई ने 25 करोड़ रुपए तक के ऋण सीमाओं वाली एमएसएमई इकाइयों के लिए दिनांक 17 मार्च, 2016 के परिपत्र के तहत पुनरुद्धार और पुनर्वास ढांचा (एफआरआर) स्थापित किया है।

एफआरआर दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक शुरुआती चेतावनी संकेतों के आधार पर एमएसएमई खातों में शुरुआती दबाव की पहचान करेंगे, खाते का रखरखाव करने वाली शाखा 10 लाख रुपए से अधिक के कुल ऋण सीमाओं वाले दबावग्रस्त खातों को एक समिति को अग्रेषित करने पर विचार करेगी जबकि 10 लाख रुपए तक की ऋण सीमाओं वाले खातों पर सुधारात्मक कार्रवाई योजना (सीएपी) के लिए शाखा स्तर पर जांच की जाएगी। सीएपी के अंतर्गत किए जाने वाले समाधान में संशोधन, पुर्नसंरचना और वसूली शामिल हो सकती है।

(vii) समग्र निर्यात इकोस्सिटम को सुदृढ़ बनाने के लिए एक व्यापक रूपरेखा के रूप में दिनांक 12.11.2025 को निर्यात संवर्धन मिशन (ईपीएम) को अनुमोदन प्रदान किया गया है। ईपीएम के अंतर्गत निर्यात प्रोत्साहन के जरिए सहायता प्रदान की जाएगी जो ब्याज सब्वेंशन के लिए सहायता, फैक्टरिंग, ई-कॉमर्स क्रेडिट कार्ड, एमएसएमई निर्यातकों के लिए निर्यात क्रेडिट हेतु कोलेटरल आदि पर ध्यान केंद्रित करेगी तथा निर्यात दिशा, निर्यात गुणवत्ता और अनुपालन सहायता, बाजार तक पहुंच संबंधी पहल, लॉजिस्टिक्स फेसिलिटेशन और निर्यात इकोसिस्टम निर्माण संबंधी उपाय सहित गैर-वित्तीय सहायता प्रदान करेगी।

(viii) सरकार द्वारा किए गए जीएसटी रैशनालाइजेशन से एमएसएमई प्रत्यक्ष रूप से मजूबत हुए हैं जिससे ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, खाद्य प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और हस्तशिल्प जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में स्थानीय आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूती प्राप्त हुई है। जीएसटी की कमतर दरों ने कच्चे माल और सेवाओं को अधिक वहनीय बनाया है जिससे लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन प्राप्त हुआ है तथा स्टार्टअप्स को अपने कार्यकलाप को बढ़ाने में सहायता प्राप्त हुई है और वे नवोन्मेष में निवेश करने तथा घरेलू और वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम हो सके हैं।

(ix) अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्कीम : इस स्कीम का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों/मेलों/सम्मेलनों/सेमिनारों/क्रेता-विक्रेता बैठकों में उनकी भागीदारी के साथ-साथ निर्यात में शामिल विभिन्न लागतों की प्रतिपूर्ति के साथ-साथ निर्यात बाजार में प्रवेश के लिए एमएसएमई की क्षमता का निर्माण करना है।

*****